निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 28/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा सार्ब, तीसरी मंजील, मैट्रीक्स माल, सैक्टर 4, जवाहर नगर, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

(1) मैसर्स भंसाली इम्पैक्स लिमिटेड (ऋणी)

(अ) ई 281 (बी एण्ड सी) एम आई ए द्वितीयफेज रोड नं. 6, जोधपुर

(ब) एफ 434 ए, एम आई ए बासनीफेज द्वितीय रोड नं. 6 जोधपुर ।

(2) श्री संजय भंसाली पुत्र श्री सोहन चन्द भंसाली

(3) श्रीमती नीलम भंसाली पत्नी श्री संजय भंसाली

(4) श्रीमती अपराजिता भंसाली पत्नी श्री शरद भंसाली

पता 1. निदेशक भंसाली इम्पेक्स लि. ई–281, (बी एण्ड सी) एम आई ए द्वितीय फेज रोड नं. 6, जोधपुर।

2. 129, रूप रजित टाउनशिप द्वितीय फेज, पाल रोड, जोधपुर

3. डी 77, कमला नेहरू नगर, लोक सेवा हास्पीटल के सामने, जोधपुर

(5) श्री शरद भंसाली पुत्र श्री सोहन चन्द भंसाली

पता 1. निदेशक भंसाली इम्पेक्स लि. ई–281, (बी एण्ड सी) एम आई ए द्वितीय फेज रोड नं. 6, जोधपुर,

2. 129, रूप रजित टाउनशिप, द्वितीय फेज, पाल रोड, जोधपुर एवं

3. 123, रूप रजित टाउनशिप, द्वितीय फेज, पाल रोड, जोधपुर ।

(6) भानु प्रकाश छंगानी पुत्र श्री अशोक कुमार छंगानी

पता 1. निदेशक भंसाली इम्पेक्स लि. ई–281, (बी एण्ड सी) एम आई ए द्वितीय फेज रोड नं. 6, जोधपुर,

2. 290 नाहटा बिल्डिंग, जोधपुर एवं

3. 24/1, छंगानी भवन, नाहटा भवन के अन्दर, बैंक ऑफ इण्डिया के पास, चौपासनी रोड, जोधपुर ।

(7) अशोक कुमार छंगानी पुत्र. श्री शिव किशन छांगानी

(8) श्रीमती कृष्णा छांगानी पत्नी श्री अशोक कुमार

(9) सुश्री अंजना छंगानी पुत्री अशोक कुमार

1. 94/4, नाहटा बिल्डिंग चौपासनी रोड जोधपुर एवं

2. कानूगा स्ट्रीट, गोकुल धाम के पास, फलौदी, जोधपुर

(10) श्रीमती निशा छंगानी पत्नी श्री भानु प्रकाश

1. 290 नाहटा बिल्डिंग, जोधपुर

2. 24/1, छंगानी भवन, नाहटा भवन के अन्दर, बैंक ऑफ इण्डिया के पास, चौपासनी रोड, जोधपुर ।

3. 94/4, नाहटा बिल्डिंग, चौपासनी रोड, जोधपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

...ा मजिस्ट्रेट

...क्टर) जयपुर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :— श्री नरेन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

निर्णय दिनांक 03.09.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.03.2014 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री शरद भंसाली पुत्र श्री सोहन चन्द भंसाली के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट/मकान नं. एफ–1, प्लाट नं. 48 नारायण विहार एस ग्राम श्रृंगारपुरा तहसील सांगानेर क्षेत्रफल 1265 वर्गफिट को बन्धक कर कुल राशि 7,00,00,000/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.06.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति व इससे सम्बन्धित दस्तावेजात का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 6,00,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 7,16,26,211/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनाक 11.06.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

मजिस्ट्रेट
जयपुर

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री शरद भंसाली पुत्र श्री सोहन चन्द भंसाली के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट/मकान नं॰ एफ–1, प्लाट नं॰ 48 नारायण विहार एस ग्राम श्रंगारपुरा तहसील सांगानेर क्षेत्रफल 1265 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 03.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

3/9/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)

जिला मजिस्ट्रेट

(कलक्टर) जयपुर